विधि और विधायी कार्य विभाग
द्वारा यथा अनुमोदित/पुनरीक्षित प्रारूप

अधिसूचना

जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 है ।
(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएंः—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18)
(ख) ''प्राधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण,
(ग) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड,
(ध) ''समिति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 41 के अधीन स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित जैवविविधता प्रबंधन समिति ।
(ड) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है राज्य जैवविविधता बोर्ड का अध्यक्ष,
(च) ''फीस'' से अभिप्रेत है इन नियमों मे नियत की गई फीस,
(द) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमो से संलग्न प्ररूप,
(ज) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार,
(झ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या राज्य जैवविविधता बोर्ड का सदस्य ओर उसमे सम्मिलित है यथास्थिति उसका अध्यक्ष,
(त्र) ''धारा'' से अभ्रिपेत है अधिनियम की धारा,
(ट) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्रेत है बोर्ड का सदस्य सचिव,
(ठ) उन शब्दों ओर अभिव्यक्तियों का, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किंतु जिन्हें परिभाषित नही किया गया है, तथा अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिया गया है ।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीतिः—

(1) राज्य सरकार का कोई मंत्री या सेवारत अधिकारी या कोई विख्यात व्यक्ति जो जैवविविधता के संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग ओर लाभों के साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित मामलो मे पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव रखता हो बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।
(2) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।
(3) उपनियम (2) के अधीन सरकार के किसी मंत्री या सेवारत अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की दशा में, यह इस प्रयोजन के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय खोज

समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी, की सिफारिश पर की जाएगी । परन्तु राज्य सरकारके सेवारत अधिकरी की दशा में, वह शासन के प्रमुख सचिव की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा ।

4. अध्यक्ष की पदावधिः—

(1) बोर्ड का अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । परन्तु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु से परे पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष राज्य सरकार को कम से कम एक मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ।

(3) इन नियमों के अन्य उपबंधों के होते हुए भी अध्यक्ष , राज्य सरकार, के प्रसादपर्यत अपने पद पर बना रहेगा ।

5. अध्यक्ष का वेतन तथा भत्तेः—

अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि, मकान तथा अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाएं ।

6. गैर सरकारी सदस्यों का नामनिर्देशन तथा पदावधि और भत्ते :—

(1) राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता के सरंक्षण जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनो के उपयोग से उद्‌भूत लाभों के साम्यापूर्ण प्रभाजन संबंधी विषयों के विशेषज्ञों में से पांच गैर सरकारी सदस्य नामनिर्देशित किए जाएगें । इनमें से कम से कम दो सदस्य स्थानीय समुदायों में से विशषज्ञ होगें, जो संबंधित समुदायों द्वारा नाम निर्देशत किए जाएंगे ।

(2) बोर्ड का गैरसरकारी सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से एक समय में, तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(3) गैर सरकारी सदस्य बैठक भत्ते, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ते तथा ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जैसे कि राज्य सरकार बोर्ड के सम्मिलन/सम्मिलनों में उपस्थित होने के लिए नियत करें ।

7. गैर सरकारी सदस्य की रिक्तयों का भरा जाना :—

(1) बोर्ड का कोई गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को लिखित में अपने हस्ताक्षर से संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा तथा बोर्ड में उस सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा ।

(2) बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी तथा रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित व्यक्ति, उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, शेष पदावधि के लिए ही पद धारण करेगा ।

8. बोर्ड के सदस्यों को हटाया जाना :—

(1) बोर्ड के किसी सदस्य को, अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों पर, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए प्रमुख सचिव की पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् तथा उचित जांच किए बिना और सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

9. पदेन सदस्यों की नियुक्ति :–

राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों/संगठनों से पांच पदेन सदस्य, जब तक कि वे अपने अपने पद धारण करेंगे, नियुक्त किए जाएगे :–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त,
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, जैवविविधता एवं जैवप्रौधोगिकी विभाग,
(3) प्रमुख मुख्य वन संरक्षक,
(4) कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
(5) राज्य जैवविविधता बोर्ड का सदस्य सचिव,

10. बोर्ड का मुख्यालयः–

बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में होगा ।

11. बोर्ड का सदस्य सचिव :–

(1) सदस्य सचिव, राज्य सरकार द्वारा, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा । उसकी नियुक्ति की अवधि तथा शर्ते राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएंगी ।
(2) सदस्य सचिव, बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन, बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन, निधियों के प्रबंधन तथा विभन्न कियाक्लापों या कार्यक्कमों के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।
(3) बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले समस्त आदेश या अनुदेश सदस्य सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से होगे ।
(4) सदस्य सचिव या तो स्वयं या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकरी के माध्यम से अनुमोदित बजट में से समस्त भुगतानों को स्वीकृत तथा संवितरित कर सकेगा ।
(5) सदस्य सचिव को, यथा–स्थिति बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, बोर्ड के बजट में सम्मिलित प्रावधानों पर प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति होगी ।
(6) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त गोपनीय कागज–पत्रों का भारसाधक होगा तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । जब कभी भी बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाए वह ऐसे कागज पत्र पेश करेगा ।
(7) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के गोपनीय प्रतिवेदन लिखेगा तथा उन्हें संधारित करेगा तथा उन्हें अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाएगा।
(8) सदस्य सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसे कि उसे बोर्ड द्वारा समय–समय पर, प्रत्यायोजित किए जाएं ।

12. बोर्ड के सम्मिलन

(1) बोर्ड के सम्मिलन, बोर्ड के मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर, जो कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, एक वर्ष में सामान्यतः तीन मास के पश्चात कम से कम चार बार होंगे ।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर या राज्य सरकार के निर्देश पर बोर्ड का एक विशेष सम्मिलन बुलाएगा ।

(3) साधारण सम्मिलन की पन्द्रह दिन की सूचना तथा विशेष सम्मिलन की तीन दिन की सूचना, प्रयोजन, समय तथा स्थान जिस पर ऐसा सम्मिलन किया जाना है, विनिर्दिष्ट करते हुए सदस्यों को दी जाएगी ।

(4) प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थि सदस्यों में से उनके द्वारा निर्वाचित किए गए पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(5) बोर्ड का विनिश्चय, यदि आवश्यक हो तो, उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत तथा मतदान से लिया जाएगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

(7) बोर्ड के सम्मिलन की गणपूर्ति पांच से होगी ।

(8) कोई भी सदस्य किसी मामले को जिसकी उसने दस दिन की सूचना न दी हो सम्मिलन में विचारण के लिए लाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न दे ।

(9) सदस्य को सम्मिलन की सूचना, उसके अंतिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान पर संदेशवाहक द्वारा परिदत्त कर या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या किसी ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि बोर्ड का सदस्य सचिव मामले की परिस्थितियणें में उचित समझें, दी जा सकेगी ।

(10) इसके अतिरिक्त, बोर्ड उसके कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी अन्य प्रक्रिया बना सकेगा, जैसी कि वह उपयुक्त तथा उचित समझे ।

13. बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति तथा उनकी हकदारी :—

(1) बोर्ड, ऐसे प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में, जैसी कि वह उचित समझें, समितियों का गठन कर सकेगा जो पूर्णतः सदस्यों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या अंशतः सदस्यों से या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी ।

(2) बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह अभिप्राप्त किए जाने को, वह उसके किन्हीं कृत्यों के निष्पादन में तथा उसके किन्ही सम्मिलनों के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए उपयोगी समझे ।
बोर्ड से सहयुक्त ऐसा व्यक्ति ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जैसे कि बोर्ड द्वारा समय—समय पर विहित किए जाएं ।

14. बोर्ड के साधारण कृत्य :—

विशिष्टतया और अन्य उपबंधों की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा :—

(एक) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाक्लापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकशित करना,

(दो) राज्य सरकार को निर्देक्षिका (मैन्युल), सहिताएं (कोडस), या मार्गदर्शन (गाइडस) जैवविविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोंतों

ओर ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित विषयों के संबंध में सलाह देना,

(तीन) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना

(चार) भारतीय नागरिकों द्वारा किसी जैव संसाधन की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के लिए अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा विनियमित करना

(पांच) राज्य जैवविविधता कार्यनीति तथा कार्य योजना का अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन को सुकर बनाना

(छः) अध्ययन करवाना तथा जांच और अनुसंधान प्रायोजित करना,

(सात) बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो सलाहकार नियुक्त करना । परन्तु यदि किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से परे नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा समीचीन हो तो बोर्ड ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन मागेंगा ।

(आठ) जैवविविधता के संरक्षण उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैवीय संसाधनों तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित ओर साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित तकनीकी और सांख्यकीय आंकडें (डाटा) संग्रहीत संकलित तथा प्रकाशित करना ।

(नौ) जनसंपर्क साधन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना ।

(दस) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयेाग के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाए जाने वाले कार्मिको के लिए योजना और प्रशिक्षण आयोजित करना ।

(ग्यारह) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैवविविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित पारंम्परिक ज्ञान के लिए जैव विविधता रजिस्टर तथा इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और प्रलेखीकरण प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना,।

(बारह) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लए स्थानीय निकायों/जैवविविधता प्रबंधन समितियों को लिखित में या समुचित मौखिक साधनों के माध्यम से निर्देश देना तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन से संबंधित समस्त उपायों में उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता को सुकर बनाना ।

(तेरह) बोर्ड के कृत्यो तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना ।

(चउदा) समय–समय पर जैविक संसाधनों की फीस की अनुशंसा करना, उसे विहित करना उपांतरित करना तथा संग्रहीत करना ।

(पन्द्रह) ऐसे तरीके ढूंढना जिससे अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे सहयुक्त ज्ञान पर बौद्विक संपत्ति संबंधी अधिकार ओर ऐसी समुचित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखे जाने की प्रणाली सम्मिलित है तथा उसमें पीपल्स बाओडाइवरसिटी रजिस्टर में रिकार्ड की गई जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है ।

(सोलह) जैवविविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत करना ।

(सत्तरह) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का जिम्मा लेना ।

(अठारह)यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा उस पर आश्रित जीविका योजना एवं प्रबंधन के समस्त सेक्टरों में, तथा राज्य से लेकर स्थानीय योजना के सभी स्तरों पर एकीकृत हो जाए ताकि उनके संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए ऐसे सेक्टरों और प्रशासकीय स्तरों को समर्थ बनाया जा सके ।

(उन्नीस)बोर्ड का, उसको स्वयं की प्राप्तियों के साथ ही राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी समाविष्ट करते हुए, वार्षिक बजट तैयार करना परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा ।

(बीस) बोर्ड को, समस्त प्रावधानों को प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियॉ होगी वह तथापि ऐसी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति शक्तियों को जैसी कि आवश्यक समझी जाएं, बोर्ड सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सके

(इक्कीस)बोर्ड द्वारा कृत्यों के प्रभावकारी निर्वहन के लिए राज्य सरकार को पदों के सृजन के लिए सिफारिश करना तथा ऐसे पदों का सृजन करना परन्तु ऐसा पद चाहे वह/स्थायी/अस्थायी या किसी अन्य प्रकृति का हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा ।

(बाईस) ऐसे अन्य कृत्यों का जैसे कि अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों या जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएं पालन करना ।

(तेईस) जंगम तथा स्थावर, दोनों ही सम्पत्ति को अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और उसके लिए संविदा करने की शक्ति होगी ।

15. अध्यक्ष की शक्तियॉ तथा कर्तव्यः–

(1) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के कियाकलाप प्रभावशील रूप से तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार चल रहे है।

(2) अध्यक्ष को, बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द पर सामान्य अधीक्षण की शक्ति होगी तथा अध्यक्ष बोर्ड के क्रियाकलाप के संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा ।

(3) अध्यक्ष बोर्ड के समस्त सम्भिलनो को बुलाएगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चयों का उचित रीति में निष्पादन हो रहा है ।

(4) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जांए ।

16. बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्ते ।

(1) बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्ते राज्य सरकार के अधीन तत्स्थानीय वेतनमान के समान ही होगी, नियुक्तियॉ सामान्यतः संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न की जाएं ।

(2) बोर्ड में पदों पर भरती/पदोन्नति के तरीके बोर्ड अनुमोदित करेगा ।

17. जैव संसाधनो तक पहुॅच/उनके संग्रहण की प्रकिया :–

(1) अनुसंधान के लिए या वाणिज्यिक उपयोग लिए जैव संसाधनों तथा उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुॅच/उनका संग्रहण चाहने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों से संलग्न प्रत्य–1 में बोर्ड को आवेदन करेगा । प्रत्येक आवेदन के साथ यदि ऐसी पहुॅच अनुसंधान के प्रयोजन के लिए है तो 100 रूपए और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 1000 रूपए फीस होगी ओर वह चैक या डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में होगी ।

(2) बोर्ड, आवेदन की सम्यक समीक्षा करने के पश्चात तथा संबंधित नगरीय निकायों से परामर्श करने के पश्चात तथा ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे आवेदन का उसकी प्राप्ति से यथा संभव तीन मास की कालावधि के भीतर विनिश्चय करेगा । इस संदर्भ में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शब्द ''परामर्श'' में अन्य बातों के साथ –साथ निम्नलिखित कदम भी सम्मिलित है ।

(क) पहुॅच/संग्रहण के लिए प्रस्ताव की, स्थानीय भाषा में, सार्वजनिक सूचना जारी की जाना ।

(ख) स्थानीय निकाय की साधारण सभा में चर्चा/संवाद और

(ग) संरक्षण तथा जीविका के लिए प्रस्ताव तथा उसके निष्पादन के बारे में यथोचित जानकारी उपलब्ध कराए जाने के पश्चात सभा से औपचारिक सहमति प्राप्त करना ।

(3) आवेदन के गुणागुण से समाधान हो जाने पर बोर्ड, आवेदन को अनुज्ञात कर सकेगा या ऐसे क्रियाकलाप को निर्बन्धित कर सकेगा । यदि उसकी राय में ऐसे क्रियाकलाप जैवविविधता के संरक्षण या ऐसे क्रियाकलाप से उद्‌भूत लाभ के साम्यापूर्ण प्रभाजन के पोषणीय उपयोग के उद्‌देश्यो के लिए हानिकारक या उनके प्रतिकूल है ।

(4) पहुॅच/संग्रहण, बोर्ड के प्राधिकृत अधिकरी तथा आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार द्वारा शासित होगा । करार का प्रारूप बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

(5) पहुॅच/संग्रहण की शर्तो में, जैव संसाधनों के जिनके लिए पहुॅच/संग्रहण स्वीकृत किया गया है, संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से उपाय किए जाएंगे ।

(6) बोर्ड यदि यह समझता है कि आवेदन स्वीकार नही किया जा सकता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात आवेदन नामंजूर कर सकेगा नामंजूरी का आदेश जारी करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(7) पूर्व सूचना के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गयी कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी एवं उससे असम्बद्व किसी भी व्यक्ति को साशय अथवा बिना किसी आशय के प्रकट नही की जाएगी ।

18. पहुॅच/अनुमोदन का प्रतिसंहरण ।

(1) बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन या तो किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से स्वीकृत की गई पहुॅच को वापस ले सकेगा तथा लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकेगा :

(अ) इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि जिस व्यक्ति के द्वारा जैव संसाधन तक पहुंच बनाई है उसने अधिनियम के किन्ही उपबंधों या शर्त का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर आवेदन स्वीकृत किया गया था।

(ब) जबकि वह व्यक्ति करार के निबंधन का अनुपालन करने में असफल रहता है ।

(स) पहॅुच की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल होने पर ।

(द) पर्यावरण संरक्षण तथा जैवविविधता संरक्षण, अधिकारों के संरक्षण आजीविका एवं स्थानीय समुदायों के ज्ञान के संदर्भ में लोकहित का उल्लघन करने के कारण (ऐंसी जॉच करने पश्चात/जैसी कि अपेक्षित हो, इस प्रकार)

(2) प्रतिसंहरण का आदेश उसकी जॉच करने के पश्चात जेसी कि अपेक्षित हो उस प्रकार तथा प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही किया जाएगा ।

(3) बोर्ड, ऐसी प्रतिसंहरण के आदेश की एक प्रति, पहॅुच को निषिद्व करने हेतु तथा हानि, यदि कोई हो तो उसकी वसूली के लिए कदम उठाने हेतु जैवविविधता प्रबंधन समिति को भेजेगा ।

19. जैव संसाधनो तक पहॅुच से संबंधित कियाकलापों (गतिविधियों) पर निर्वन्धन ।

(1) बोर्ड यदि आवश्यक तथा युक्तियुक्त समझे तो निम्नलिखित कारणों से जैवसंसाधनों तक पहॅुच के प्रस्ताव को निर्बान्धित या प्रतिषिद्व करने के लिए कदम उठा सकेगा।

(1) पहॅुच के लिए अनुरोध किसी आशंकित प्रजाति के लिए हो अथवा उस प्रजाति के लिए हो जो इस तरह की पहॅुच से आशंकित हो सकती हो ।

(2) पहॅुच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक अथवा दुर्लभ प्रजाति के लिए हो ।

(3) पहॅुच के लिए अनुरोध का स्थानीय जनों की जीविका, संस्कृति तथा जातीय ज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(4) पहॅुच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हो, जिसे नियंत्रित एवं कम करना कठिन हो ।

(5) पहॅुच के लिए अनुरोध से अनुवांशिक क्षरण होता हो अथवा पारिस्थितिक तंत्र की क्रिया विधि प्रभावित होती है ।

(6) राष्ट्रीय हित तथा देश में किए गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के विपरीत उद्देश्यों के लिए संसाधनों का प्रयोग ।

(2) निर्बन्धन का कोई भी आदेश ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि आवश्यक हो स्थानीय निकायों एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति से परामर्श करके तथा प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर ही किया जाएगा ।

20. राज्य जैवविविधता निधि का प्रचालन ।

(1) राज्य जैवविविधता निधि को बोर्ड के सदस्य सचिव या इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रचालित किया जाएगा ।

(2) राज्य जैवविविधता निधि में दो पृथक लेखा शीर्ष होंगे । एक में केन्द्र शासन/राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण तथा राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे लोगों की प्राप्तियां (अनुदान तथा ऋण) सम्मिलित होगी तथा दूसरा फीस अनुज्ञप्ति फीस, रॉयल्टी तथा बोर्ड की अन्य प्राप्तियों से संबंधित होगी ।

(3) राज्य सरकार विधि द्वारा इस निमित्त राज्य विधानमंडल द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात ऐसी राशि बोर्ड को संदत्त करे जैसी कि अधिनियम के प्रयोजन से हो, उपयोग किए जाने के लिए राज्य सरकार उचित समझे ।

(4) बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित निश्चिय पारदर्शी एवं जनता के प्रति जवाबदेह हों, मार्गदर्शक सिद्वांत विरचित करेगा।

21. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण ।

(1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) बोर्ड, लेखाओं को रखने की प्रक्रिया अधिकथित करेगा । बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक लेखा संपरीक्षित बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा । राज्य का महालेखाकार बोर्ड के लेखा की संपरीक्षा कर सकेगा तथा इस हेतु व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(3) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष के सितम्बर मास तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखा विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा । जिससे कि राज्य सरकार उसे विधान सभा के समक्ष रखने मे समर्थ हो सके ।

22. जैवविविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबंधन ।

(1) बोर्ड, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख भागीदारों के परामर्श से महत्वपूर्ण जैवविविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सुकर बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा । बोर्ड की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए तथा केन्द्र सरकार से परामर्श के पश्चात राज्य सरकार इस प्रभाव की अधिसूचना जारी करेगी ।

(2) बोर्ड, विरासत स्थानों के चयन प्रबंधन तथा अन्य पक्षों पर मार्गदर्शक सिद्वांत यह सुनिश्चित करते हुए विरचित करेगा कि इसमे संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समितियों के लिए विनिश्चय लेने की व्यवस्था है ।

23. जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन ।

(1) प्रत्येक स्थनीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर एक जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा । तद्नुसार जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा स्तर के साथ – साथ नगरपालिका एवं नगर–निगम स्तर पर भी किया जाएगा ।

(2) यदि स्थानीय निकाय का यह समाधान हो कि जैवविविधता प्रबंधन समितियों के कृत्य का निर्वहन, स्थानीय निकाय की सामान्य सभा या इसकी विद्यमान समितियों में से किसी एक समिति द्वारा संचालित किया जा सकता है तो इसे स्थानीय निकाय द्वारा सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संकल्प पारित कर अभिलिखित किया जावेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन गठित की गई जैवविविधता प्रबंधन समितियों में स्थानीय निकायों द्वारा नामनिर्देशित सात व्यक्ति होंगे जिनमे महिलाएं एक तिहाई से कम नहीं होगी । इस प्रकार नामनिर्देशित सात स्थानीय जानकार व्यक्तियों को जड़ी–बूटी विशेषज्ञ, कृषि, गैर काष्ठ वन उपज संग्रहण/व्यापारी फिशरकाक उपभोक्ता सगंठन के प्रतिनिधि सामुदायिक कार्यकर्ता शिक्षाविद् या किसी संगठन

का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि जिनके बारे मे स्थानीय निकाय का यह विश्वास हो कि वह जैवविविधता प्रबंधन समिति की आज्ञा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, में से लिया जाएगा । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अनुपात, जिले के, जहॉ ऐसी समिति गठित की गई है । अनुसूचित/जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । उपरोक्त समस्त उक्त स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर के निवासी होने चाहिए तथा उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए ।

(4) स्थानीय निकाय, वन,कृषि,पशुधन,,स्वास्थ,मछली पालन, तथा शिक्षा विभाग में से छह विशेष आमंत्रितों को नाम निर्देशित करेगा ।

(5) जैवविविधिता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाले सम्मिलन में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा । बराबर (मत) रहने की दशा में, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(6) जैवविविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अवधि पांच वर्ष होगी ।

(7) जैवविविधता प्रबंधन समिति के सम्मिलन में विभिन्न स्तरों पर विधान सभा के स्थानीय सदस्य तथा संसद सदस्य विशेष आमंत्रित होगें ।

(8) जिला पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा, सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक क्षेत्र, सामुदायिक और व्यक्तियों में से जैवविविधता के क्षेत्र में विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक तकनीकी सहयोग समूह स्थापित किया जांएगा । विशेषज्ञ समूह जैवविविधता प्रबंधन समिति को अपना सहयोग पदान करेगा ।

(9) जैव विविधता प्रबंधन समिति की प्रमुख आज्ञा जैवविविधता का संरक्षण पोषणीय उपयोग तथा जैवविविधता के लाभों के साम्यापूर्ण प्रभाजन को सुनिश्चित करना होगा ।

(10) जैवविविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कृत्य राज्य जैवविविधता बोर्ड को किसी मामलें पर सलाह देने के लिए निर्देश करना या स्थानीय और जैविक स्त्रोतो का उपयोग करने वाले व्यवसायी से संबंधित डाटा संधारित करना होगा ।

(11) जिला तथा जनपद जैवविविधता प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर विकासीय योजनाओं में जैव विविधता से संबंधित जैव विविधता का संधारण करने के लिए संघर्ष करेगी ।

(12) बोर्ड, जैवविविधता प्रबंधन समिति को जन जैवविविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे रिजस्टरों में अभिलिखित समस्त जानकारियों को बाहरी एंजेसियों तथा व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग तथा विनियोग के विरूद्व विधिक संरक्षण प्राप्त है ।

(13) समिति जैविक संसाधनो के पहुंच और प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे अधिरोपति फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा उनसे व्युत्पन्न लाभों के ब्यौरे तथा उनके प्रभाजन की पद्वति के संबंध में जानकारी देते हुए एक रजिस्टर भी संधारित करेगी।

(14) जैवविविधिता प्रबंध समिति, ग्रामसंभा/पंचायत/नगरपालिका/नगर पालिका निगम स्तर पर ऐसे निबंधन विनिश्चित कर सकेगी, जिस पर वह जैव विविधता तक पहुॅच की अनुज्ञा के लिए तथा उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनो के लिए विभिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित ज्ञान प्रदान कर सकेगी तथा उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से किसी व्यक्ति से, या वाणिज्यिक प्रयोजनो के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिए फीस संग्रहण के द्वारा प्रभारों का उदग्रहण कर सकेगी । निजी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों के उद्ग्रहण का प्रमुख हिस्सा भूमि के

कृषक/ज्ञानधाकर/धारको को देना चाहिए । तथा शेष जैवविविधता प्रंबधन समिति की स्थानीय जैवविविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए । सरकारी भूमि से संग्रहीत जोती गई सामग्री के लिए प्रभारो के उदग्रहण को पूर्णरूप से जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैवविविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए।

(15) बोर्ड जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा पहुॅच के निबंधन और फीस संग्रहण के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा ।

(16) ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिका–निगम के स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियो जन जैव विविधता रजिस्टर से उत्पाद का उपयोग करते हुए एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करेगी तथा इसके कार्यान्वयन के लिए या कार्यन्वयन में, भाग लेने के लिए जिम्मेदार होगी ।

(17) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगे कि प्रति सदस्यता, नियमिति समन्वय सम्मिलन तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा जैसा कि स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित किए जाएं या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, विद्यमान स्थानीय संस्थाओं के कृत्यों से जैव विविधता प्रबंधन समिति एकीकृत है ।

24. स्थानीय जैव विविधता निधि :

(1) स्थानीय निकाय के स्तर पर स्थानीय जैव विविधता निधि गठित की जाएगी ।

(2) बोर्ड, स्थानीय निकाय को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी से उसके द्वारा प्राप्त किया गया ऋण या अनुदान उपलब्ध करायेगा । स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक उसके द्वारा पहचाने गए या बोर्ड द्वारा वनिर्दिष्ट किए गए या अन्य स्त्रोतो के माध्यम से भी पहुंच सकेगा ।

(3) स्थानीय जैवविविधता निधि का परिचालन जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा । बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा निधि के प्रचालन के लिए ऐसी रीति सम्मिलित करते हुए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित करेगी जिसमें इसके कृत्य संबंधित स्थानीय निकायों के समस्त सदस्यों के लिये पारदर्शक तथा उत्तरदायी हों।

(4) निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैवविविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए जहां तक उसका उपयोग जैवविविधता के संरक्षण से संगत है, किया जाएगा ।

(5) स्थानीय जैवविविधता निधि का लेखा ऐसे प्ररूपों में जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समयों पर, जैसा कि विहित किया जाए तैयार किया जाऐगा ।

(6) जैवविविधता प्रबंधन समितियां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिर्पोट तैयार करेंगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी ।

(7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे ऐसे तरीके से संधारित तथा संपरीक्षित किए जाएंगे जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

25. विवादों के निटारे के लिए अपीलः–

(1) यदि किसी आदेश/निदेश के कर्यान्वयन या किसी नीति निर्णय के विवाधक पर प्राधिकरण तथा बोर्ड या अन्य बोर्ड/बोर्डो के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो या तो पीडित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति प्राधिकरण या बोर्ड इन नियमों से संलग्न प्रत्य –दो में अधिनियम की धारा 50 के अधीन एक अपील, सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय भरत सरकार को या अध्यक्ष राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड/बोर्डों के बीच विवाद होने की स्थिति में प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) अपील का ज्ञापन मामले के तथ्य, आवेदक द्वारा विश्वास किया गया आधार तथा उसके लिए चाहा गया अनुतोष अपील प्रस्तुत करने के लिए कथित करेगा तथा यथास्थिति उस आदेश निदेश या नीति निर्णय जिसके द्वारा अपीलार्थी व्यथित हुआ या की अधिप्रमाणित प्रति के साथ होगा । अपील का ज्ञापन अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा ।

(3) अपील का ज्ञापन, चार प्रतियों में, यथा स्थिति उस आदेश निदेश या नीति निर्णय की अधिप्रमाणित प्रति के साथ जिसके द्वारा अपीलार्थी व्यथित हुआ था व्यक्तिगत रूप से या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा आदेश निदेश या नीति निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा । परंतु यदि अपील प्राधिकारी का वह समाधान हो जाय कि अपील प्रस्तुत करने में विवश होने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण या तो अपील प्रधिकरी, कारणों को अभिलिखित करते हुए 30 दिनों की उक्त कालावधि का आवसान होने के पश्चात किंतु यथास्थिति ओदश निदेश नीति निर्णय की तारीख से 45 दिन के अवसान के पूर्व अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा देगा ।

(4) अपील की सुनवाई के लिए सूचना (नोटिस) प्ररूप – 3 में रसीदी रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाएगी ।

(5) प्रत्येक अपील के ज्ञापन के साथ 100/– रूपए फीस संलग्न की जाएगी ।

(6) इसी प्रकार बोर्ड, बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बीच या जैवविविधता प्रबंधन समितियों के तथा जैवविविधता प्रबंधन समिति और संबंधित स्थानीय निकायों के बीच समझोते के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगा ।

प्ररूप — 1

(नियम 17 देखिए)

वाणिज्यिक उपयोग एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान हेतु/जैवसंसाधनो तक पहुॅंच/जैविक ससांधनों के संग्रहण के लिए आवेदन प्ररूप

भाग — क

1. आवेदक का पूर्ण विवरण
   - (क) नाम :—
   - (ख) स्थायी पता :—
   - (ग) भारत में सम्पर्क व्यक्ति/अभिकर्ता यदि कोई हो, का पता :—
   - (घ) संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा) (कृपया अधिप्रमाण के लिए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
   - (ड) कारबार की प्रकृतिः—
   - (च) भारतीय रूपये में संगठन का व्यापारावर्त :—
2. पहुॅंच के लिए चाही गई प्रकृति तथा जैविक सामग्री और या संबंधित ज्ञान तक पहुंच के बारे में ब्यौरे तथा विनिर्दिष्ट जानकारी ।
   - (क) जैव संसाधन की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारंम्परिक उपयोगः
   - (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें सम्मिलित है ग्राम, जनपद तथा जिला):—
   - (ग) पारंम्परिक ज्ञान का विवरण प्रकृति तथा उसका विद्यमान विवरण एवं उपयोगः— (मौखिक दस्तावेजी)
   - (घ) पारंम्परिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति/कुटुंब/समुदायः—
   - (ड) संग्रहीत किए जाने वाले जैवसंसाधन की मात्रा :—
   - (च) समय सीमा जिसके भीतर जैवसंसाधन संग्रहीत किया जाना प्रस्तावित हैः—
   - (छ) कम्पनी द्वारा संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्याः—
   - (ज) पहुॅंच का प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया है जिसमे सम्मिलित है अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, उत्पन्न किया जा रहा वाणिज्यिक उपयोग और व्युत्पन्न होना प्रत्याशित है :—
   - (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण अथवा उपयोग से जैवविविधिता के किसी घटक को खतरा है । पहुॅंच से उत्पन्न हो सकने वाले खतरे :—
3. उन जैवसंसाधनों जिन तक पहुंच की गयी तथ पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग से समुदायों को हो सकने वाले लाभों का प्राक्कलन ।
4. लाभों के प्रभाजन को प्रस्तावित की कार्यविधि तथा व्यवस्था ।
5. कोई अन्य जानकारी :—

भाग – ख

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि :–

- प्रस्तावित जैवसंसाधनो का संग्रहण एवं उपयोग संसाधनो की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणी समाघात नही होगा ।
- प्रस्तावित जैवसंसाधनो का संग्रहण एवं उपयोग पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियों तथा आनुवाशिक विविधता सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा ।
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

मैं/हम, कोई भी फीस तथा/या रायल्टी का, जो बोर्ड या जैवविविधिता प्रबंधन समिति द्वारा उदग्रहीत की जाए, भुगतान करने का वचन देते है । मैं/हम, अवसूलीय बैंक प्रत्याभूति जैसी कि बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, देने का भी वचन देते है ।
मैं/हम अपने घोषणा करते हे कि, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं प्रामाणिक है तथा मैं/हम किसी गलत/असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार होगें ।

स्थानः–
तारीखः–

हस्ताक्षर
नामः– ———————————
(कुलनाम) ———————————
अभिवान ———————————

प्ररूप – 2

अपील के ज्ञापन का प्ररूप
(नियम 25 देखिए)

सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार

अथवा

अध्यक्ष राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के समक्ष (जैसी भी स्थिति हो)
(जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन अपील का ज्ञापन)

अपील क्रं———————————200

—————————————— अपीलार्थी (यों)
——————————————

विरूद्व

—————————————— प्रत्यर्थी (यों)
——————————————

(यहां, यथास्थिति, प्राधिकरण/बोर्ड के पदनाम का उल्लेख करें)

अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक —————————— के विरूद्व इस अपील के ज्ञापन को आधिमानता देने की प्रार्थना करता है ।

1. तथ्य :–
   (यहां मामलें के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें) :–

2. आधार :–
   (यहां उन आधारों का उल्लेख करें, जिन पर अपील की गयी है) :–
   (एक)
   (दो)
   (तीन)
3. चाहा गया अनुतोष

   (एक)
   (दो)
   (तीन)
4. प्रार्थनाः–

(क) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी के ओदश/निर्णय को अभिखंडित/अपास्त कर दिया जाये ।

(ख) प्रत्यार्थी द्वारा तैयार नीति/मार्गदर्शशक सिद्वान्त विनियम———————— सीमा तक अभिखंडित/उपांतरति/निष्प्रभावी कर दिये जाएं ।

(ग) ————————————————

5. इसी अपील के लिए फीस के रूप में आदेश क्रं.——————————————— दिनांक —————————————— के माध्यम से रू.——————————————— (रूपए ——————————————) का भुगतान ———————————————को किया गया ।

स्थान :—
तारीखः—

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
मुद्रासहित

पता——————————
——————————
——————————

सत्यापन

मैं, अपीलार्थी, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

——————————————दिन——————————————————को सत्यापित

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
मुद्रासहित

पता——————————
——————————
——————————

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नः—उस आदेश, निदेश या नीति निर्णय की अधिप्रमाणित प्रति, जिसके विरूद्व अपील की गई है

रजिस्ट्रीकृत डाक / रसीदी
डाक द्वारा

प्ररूप – 3

(नियम 25 (4) देखिये)

सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली,

अथवा

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ।
(यथास्थिति)

अपील क्रमांक ——————————————200

——————————————— ——————————अपीलार्थी (अपीलार्थीयों)
———————————————

विरूद्ध

——————————————— ——————————प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों)
———————————————
——————————————— के बीच
———————————————

सूचना

कृपया ध्यान दें कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील आदेश / निदेश / नीति विनिश्चय (ब्यौरे दें) के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।सुनवाई की तारीख ——————————————स्थान ——————————पर नियत हुई है ।

अपील के ज्ञापन की प्रतियां और अपील के साथ फाइल किए गए अन्य उपाबंध आपके निर्देश के लिए भेजे जाते है ।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त तारीख को या अपील की सुनवाई की अन्य पश्चातवर्ती तारीख को उपस्थित होन में असफल रहते है तो अपील का निपटारा अंतिम रूप से एक पक्षीय मानकर कर दिया जाएगा ।

अपील प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता
(मुद्रा)

स्थान :–
तारीखः–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
ओदशानुसार

विधि और विधायी कार्य विभाग
द्वारा यथा अनुमोदित/पुनरीक्षित प्रारूप

''अधिसूचना''

मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 3, 4, 6, तथा 9 के साथ पठित जैवविविधता अधिनियम 2002 (2003 का 19) की धारा 22 की उपधारा (1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए निमयों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, मध्य प्रदेश जैवविविधता बोर्ड के नाम से जाना जाने वाला एक बोर्ड का दिनाक ——————————————से गठन करती है, अर्थात :—

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सदस्य,

1. श्री —————————————— अध्यक्ष

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त पदेन सदस्य ।

2. कृषि उपज आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. प्रमुख सचिव/सचिव, जैवविविधता तथा जैव तकनीकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन ।
4. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश भोपाल
5. कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव,

धारा 22 के खंड (ग) के अधीन नियुक्त अशासकीय सदस्य,

7. ——————————————————
8. ——————————————————
9. ——————————————————
10. ——————————————————
11. ——————————————————
12. बोर्ड के अशासकीय सदस्य उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए पद धारण करेगें ।
13. बोर्ड का मुख्यालय भोपल में होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार